

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ दीवानी विविध अपील नं. 4808 / 2017

संजय व अन्य

बनाम

राकेश सेन व अन्य

आदेश दिनांक :

11.07.2018

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारीलाल शर्मा

श्री प्रशान्त शर्मा, अधिवक्ता वास्ते,
श्री जयप्रकाश गुप्ता, अधिवक्ता-अपीलार्थी की ओर से।

प्रत्यर्थी संख्या-1 व 2 के नोटिस बाद /अदम तामील नहीं लौटें हैं। अतः
प्रत्यर्थी संख्या-1 व 2 की तामील हेतु नोटिस पुनः जारी किये जावें।

आवश्यक कार्यवाही एक सप्ताह में पूरी की जावे। नोटिस का एक सेट
अपीलार्थी स्वयं के खर्चे पर रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से भी जारी किया जावे।

(बनवारी लाल शर्मा)
न्यायाधिपति

मित्तल / 7